

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/60/2014/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक /04/2015

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- सीहोर विकास योजना 2031 का प्रारूप प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 24/4/2015 एवं सामान्य प्रशासन विभाग से असाधारण राजपत्र की अनुमति दिनांक 24/4/2015 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का असाधारण में दिनांक 24/4/2015 को प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न : यथोपरि

(एस के मुद्गल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल, दिनांक 24/04/2015

क्रमांक-एफ-3/60/2014/32
प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और विभागीय सूचना की प्रति एवं विकास योजना के मानचित्र की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सीहोर विकास योजना 2031 के प्रारूप को आपकी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
24/4/2015 -

श्री प्ररक्षण
157
24/4/15

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल दिनांक २५-५-१५

कमांक-एफ-३/६०/२०१४/३२ :: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३, (कमांक २३ सन् १९७३) की धारा १८ की उपधारा (३) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत सीहोर निवेश क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना २०३१ में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा-१९ उपधारा-२ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से दिनांक /०४/२०१५ को प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाईट www.mptownplan.nic पर उपलब्ध है तथा जिसका निम्नलिखित कार्यालयों समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से ३० दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा -

- (१) अवर सचिव, मध्यप्रदेश, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग कक्ष कमांक-३०२ बी तृतीय तल मंत्रालय भोपाल।
 - (२) संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल
 - (३) कलेक्टर, सीहोर
१. प्रारूप विकास योजना सीहोर २०३१ की पुस्तिका में कंडिका १.३.६, २.५, ३.२, ३.३.६, ३.३.७, ३.३ में टंकन त्रुटिया ठीक की जाना प्रस्तावित है।
 २. उपांतरण का विवरण:-
 - (क) कंडिका ३.३, ३.४ में सारणी ३-सा-४, सारणी ५-सा-१ के स्थान पर संशोधित कंडिका व सारणी प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (ख) पृष्ठ क्रमांक २२७ पर टंकीत पैराग्राफ में से "ग्राम तकैपुर तथा लसुडिया परिहार (कैंचमेंट से पूर्व तक) में बायपास मार्ग के दोनो ओर मार्ग मध्य से ७.५० मीटर तक निम्न घनत्व आवासीय गतिविधि स्वीकार्य होगी" विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण www.mptownplan.nic पर अवलोकन किया जा सकता है।
 ३. उक्त उपांतरण विवरण के संबध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से ३० दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(एस के मुदगल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// सूचना //

भोपाल, दिनांक २५ अप्रैल 2015

क्रमांक -एफ-3-60/32/14 एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (23 सन् 1973) की धारा 19 (2) के प्रावधान्तर्गत राज्य सरकार ने सिहोर विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निम्नानुसार उपान्तरण प्रस्तावित किये हैं:-

अधिसूचना में उपांतरण विवरण

अ- प्रारूप विकास योजना सिहोर 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण त्रुटियाँ परिलक्षित हुई हैं, जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है। ये टंकण त्रुटियाँ निम्नानुसार हैं :-

1. कंडिका 1.3.6, पृष्ठ क्र. 5 में टंकित "213.88" को "213.38" पढा जाये।
2. कंडिका 2.5, पृष्ठ क्र. 18 में टंकित "19.84" को "19.94" पढा जाये।
3. कंडिका 3.2, पृष्ठ क्र. 33 में टंकित "10050.89" को "10050.81" पढा जाये।
4. कंडिका 3.3.6, पृष्ठ क्र. 36 में टंकित "आमोद-प्रमोद" को "यातायात एवं परिवहन" पढा जाये।
5. कंडिका 3.3.7, पृष्ठ क्र. 37 में टंकित "यातायात एवं परिवहन" को "आमोद-प्रमोद" पढा जाये।
6. कंडिका 3.3 को निम्नानुसार पढा जाये :-

3.3 प्रस्तावित विकास योजना 2031

सिहोर विकास योजना 2031 में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर भूमि उपयोग के प्रस्ताव तैयार किये गये। प्रत्येक भूमि उपयोग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को सारणी क्रमांक 3.2 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु 528.96 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त है। इसी प्रकार वाणिज्यिक विकास 160.13 हेक्टेयर, औद्योगिक विकास 73.82 हेक्टेयर, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के विकास हेतु 100.54 हेक्टेयर एवं सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाओं के अंतर्गत 10.65 हेक्टेयर तथा यातायात के अंतर्गत 263.02 हेक्टेयर, आमोद-प्रमोद भूमि के अंतर्गत लगभग 181.50 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार विकास योजना में कुल 2450.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। (क्रमांक 3.1)

सीहोर : प्रस्तावित भूमि उपयोग भूमि आवंटन 2031

3-सा-2

क्रं.	भूमि उपयोग	वर्तमान 2011			प्रस्तावित 2031			
		वर्तमान क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र	प्रतिशत	कुल प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में (3+5)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	591.71	52.30	528.96	40.11	1120.67	45.74	4.67
2	वाणिज्यिक	47.92	4.24	160.13	12.14	208.05	8.49	0.87
3	औद्योगिक	85.22	7.53	73.82	5.60	159.04	6.50	0.66
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	136.58	12.07	100.54	7.63	237.12	9.68	0.99
5	सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएं	24.81	2.19	10.65	0.80	35.46	1.45	0.15
6	यातायात एवं परिवहन	213.38	18.86	263.02	19.95	476.40	19.44	1.98
7	आमोद-प्रमोद	31.77	2.81	181.50	13.77	213.27	8.70	0.89
	योग	1131.39	100.00	1318.63	100.00	2450.00	100.00	10.21

वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख हेतु 10.00 हेक्टेयर भूमि प्रति हजार व्यक्तियों के मान से 2450.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता प्रस्तावित की गई है।

3.3.1 आवासीय

सीहोर विकास योजना 2031 में सम्पूर्ण नगर हेतु वर्तमान आवासीय क्षेत्र 591.71 हेक्टेयर के अतिरिक्त 528.96 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाना है। इस प्रकार विकास योजना में 1120.67 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 45.74 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 4.67 है।

3.3.2 वाणिज्यिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 47.92 हेक्टेयर है तथा 160.13 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 208.05 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.49 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.87 है।

3.3.3 औद्योगिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र 85.22 हेक्टेयर है तथा 73.82 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है इसमें से 19.06 क्षेत्र श्यामपुर मार्ग पर प्रस्तावित है तथा सीहोर -भोपाल मार्ग पर 11 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 159.04 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.50 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.66 है।



सीहोर विकास योजना 2011 में जमोनिया तालाब के पास प्रस्तावित क्षेत्र को तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में आने के कारण इसका प्रस्ताव ग्राम जमोनिया तालाब में स्थित शासकीय भूमि पर स्थानांतरित किया गया है।

3.3.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान में 136.58 हेक्टेयर क्षेत्र है तथा 100.54 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। जिसमें से इन्दौर-भोपाल बायपास पर 57.77 हेक्टेयर प्रस्तावित है तथा लगभग 10 हेक्टेयर सीहोर-भोपाल मार्ग पर प्रस्तावित है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधा मान्य होगी। इस प्रकार विकास योजना में 237.12 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.68 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.99 है।

3.3.5 सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें

सीहोर विकास योजना 2031 में कुल 10.65 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 35.46 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.45 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता 0.15 है।

3.3.6 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन के लिये कुल 263.02 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। जिसमें एक बस स्टेण्ड प्रस्तावित है, जो कि इन्दौर भोपाल बायपास पर प्रस्तावित है तथा एक पिक-अप स्टेण्ड प्रस्तावित है, जो कि रेल्वे लाइन के उत्तर में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 476.40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 19.44 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 1.98 है।

3.3.7 आमोद-प्रमोद

सीहोर विकास योजना 2031 में आमोद-प्रमोद के लिये कुल 181.50 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें से 16.42 हेक्टेयर भूमि सीवन नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर के पास नगरीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 213.27 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.70 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.89 है।

सीहोर विकास योजना 2011 में औद्योगिक के पास प्रस्तावित क्षेत्र को जमोनिया तालाब के किनारे तथा ग्राम जमोनिया में नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप रोड से लगकर 60 मीटर तक का क्षेत्र आमोद-प्रमोद में प्रस्तावित किया जाता है।

ब- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(2) में राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित उपांतरण -

1. भूमि उपयोगों में आंशिक उपांतरण -

सिहोर विकास योजना (प्रारूप) 2031 में उपांतरण प्रस्ताव के आधार पर विकास योजना में इंदौर नाका क्षेत्र वार्ड क्र. 3 से गणेश मंदिर पहुंच मार्ग के दक्षिण दिशा में 60 मीटर गहराई तक कृषि से आवासीय तथा उत्तर दिशा में 100 मीटर गहराई तक कृषि एवं आमोद प्रमोद से आवासीय उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रभावित होने वाले ग्राम एवं खसरों की सूची उपांतरण में सम्मिलित है। प्रस्तावित उपांतरण के कारण अन्य नगरीय उपयोगों में होने वाले आंशिक परिवर्तनों को भी उपांतरण में सम्मिलित किया गया है।

2. उपरोक्त आंशिक उपांतरणों के कारण कंडिका 3.3 में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है :-

3.3 प्रस्तावित विकास योजना 2031

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर भूमि उपयोग के प्रस्ताव तैयार किये गये। प्रत्येक भूमि उपयोग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को सारणी क्रमांक 3.2 में दर्शाया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु 534.63 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त है। इसी प्रकार वाणिज्यिक विकास 160.13 हेक्टेयर, औद्योगिक विकास 73.82 हेक्टेयर, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के विकास हेतु 100.54 हेक्टेयर एवं सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाओं के अंतर्गत 10.65 हेक्टेयर तथा यातायात के अंतर्गत 263.02 हेक्टेयर, आमोद-प्रमोद भूमि के अंतर्गत लगभग 178.83 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार विकास योजना में कुल 2453.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। (क्रमांक 3.1)

सीहोर : प्रस्तावित भूमि उपयोग भूमि आवंटन 2031

3-सा-2

क्रं.	भूमि उपयोग	वर्तमान 2011			प्रस्तावित 2031			
		वर्तमान क्षेत्र हेक्टेयर में	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र	प्रतिशत	कुल प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में (3+5)	प्रतिशत	भूमि उपयोग दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आवासीय	591.71	52.30	534.63	40.46	1126.34	45.92	4.69
2	वाणिज्यिक	47.92	4.24	160.13	12.11	208.05	8.48	0.87
3	औद्योगिक	85.22	7.53	73.82	5.58	159.04	6.48	0.66
4	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	136.58	12.07	100.54	7.60	237.12	9.67	0.99
5	सार्वजनिक सेवा एवं सुविधाएं	24.81	2.19	10.65	0.80	35.46	1.44	0.15
6	यातायात एवं परिवहन	213.38	18.86	263.02	19.91	476.40	19.42	1.98
7	आमोद-प्रमोद	31.77	2.81	178.83	13.54	210.60	8.59	0.88
	योग	1131.39	100.00	1321.61	100.00	2453.00	100.00	10.22

सीहोर विकास योजना 2031 प्रारूप में भूमि उपयोग दर 10.21 थी जो अब 10.22 है। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख हेतु 10.22 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्तियों के मान से 2453.00 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता प्रस्तावित की गई है।

3.3.1 आवासीय

सीहोर विकास योजना 2031 में सम्पूर्ण नगर हेतु वर्तमान आवासीय क्षेत्र 591.71 हेक्टेयर के अतिरिक्त 534.63 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र विकसित किया जाना है। इस प्रकार विकास योजना में 1126.34 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 45.92 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 4.69 है।

3.3.2 वाणिज्यिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र 47.92 हेक्टेयर है तथा 160.13 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 208.05 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.48 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.87 है।

3.3.3 औद्योगिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र 85.22 हेक्टेयर है तथा 73.82 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है इसमें से 19.06 क्षेत्र श्यामपुर मार्ग पर प्रस्तावित है तथा सीहोर—भोपाल मार्ग पर 11 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 159.04 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.48 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.66 है।

सीहोर विकास योजना 2011 में जमोनिया तालाब के पास प्रस्तावित क्षेत्र को तालाब के कैचमेंट क्षेत्र में आने के कारण इसका प्रस्ताव ग्राम जमोनिया तालाब में स्थित शासकीय भूमि पर स्थानांतरित किया गया है।

3.3.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सीहोर विकास योजना 2031 में वर्तमान में 136.58 हेक्टेयर क्षेत्र है तथा 100.54 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। जिसमें से इन्दौर—भोपाल बायपास पर 57.77 हेक्टेयर प्रस्तावित है तथा लगभग 10 हेक्टेयर सीहोर—भोपाल मार्ग पर प्रस्तावित है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधा मान्य होगी। इस प्रकार विकास योजना में 237.12 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.67 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.99 है।

3.3.5 सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें

सीहोर विकास योजना 2031 में कुल 10.65 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 35.46 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 1.44 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता 0.15 है।

3.3.6 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन के लिये कुल 263.02 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है। जिसमें एक बस स्टेण्ड प्रस्तावित है, जो कि इन्दौर भोपाल बायपास पर प्रस्तावित है तथा एक पिक-अप स्टेण्ड प्रस्तावित है, जो कि रेल्वे लाइन के उत्तर में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 476.40 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 19.42 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 1.98 है।

3.3.7 आमोद—प्रमोद

सीहोर विकास योजना 2031 में आमोद—प्रमोद के लिये कुल 178.83 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जिसमें से 16.42 हेक्टेयर भूमि सीवन नदी के तट पर प्राचीन शिव मंदिर के पास नगरीय उद्यान के रूप में प्रस्तावित है। इस प्रकार विकास योजना में 210.60 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.59 प्रतिशत तथा भूमि उपयोगिता दर 0.88 है।

सीहोर विकास योजना 2011 में औद्योगिक के पास प्रस्तावित क्षेत्र को जमोनिया तालाब के किनारे तथा ग्राम जमोनिया में नवीन प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप रोड से लगकर 60 मीटर तक का क्षेत्र आमोद-प्रमोद में प्रस्तावित किया जाता है।

3. कंडिका 3.4 में सारणी 3-सा-4 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

सीहोर : निवेश इकाईवार भू-उपयोग विवरण 2031

3-सा-4

क्र.	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	सार्वजनिक उपयोगिता	आमोद प्रमोद	यातायात एवं परिवहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	213.28	83.47	61.82	32.44	—	94.90	139.83	625.74
2	90.54	63.55	3.76	5.60	8.79	45.46	83.41	301.11
3	230.81	13.11	8.24	62.50	1.86	38.47	39.78	394.77
कुल	534.63	160.13	73.82	100.54	10.65	178.83	263.02	1321.62

4. पृष्ठ क्र. 227 पर टंकित पैराग्राफ में से "ग्राम तकीपुर एवं लसुडिया परिहार (कैचमेंट से पूर्व तक) में बायपास मार्ग के दोनों ओर मार्ग मध्य से 750 मीटर तक निम्न घनत्व आवासीय गतिविधि स्वीकार्य होगी।" विलोपित किया जाता है।
5. संचालक की समीक्षा टीप दि. 08.12.14 में उल्लेखित अनुसार प्रारूप विकास योजना की सारणी 4-सा-12 एवं 4-सा-13 को विलोपित किए जाने के प्रस्ताव को अमान्य करते हुए प्रारूप विकास योजना अनुसार ही यथावत रखा जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सारणीयों को विलोपित करने संबंधी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
6. संचालक की समीक्षा टीप के बिन्दु क्र. 3 के अनुसार कृषि भूउपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य गतिविधियों अंतर्गत म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. एफ 6-42/2013/7 नजूल दिनांक 30.08.13 में उल्लेखित पूर्त प्रयोजन से संबंधित गतिविधियां स्वीकार्य होगी।
7. सारणी क्र. 5-सा-1 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

सीहोर : योजना क्रियान्वयन की लागत (2031)

5-सा-1

क्रमांक	भूमि उपयोग विवरण	क्षेत्र (हेक्टेयर में)			भू-अर्जन लागत (रु. 30.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)	अर्जितभूमि के 60 प्रतिशत			कुल लागत (लाख रु. में)
		प्रस्तावित	वर्तमान	कुल		क्षेत्र हेक्टेयर में	विकास दर प्रति हे० (लाख रु. में)	लागत (लाख रु. में)	
1.	आवासीय	534.63	591.71	1126.34	16038.90	320.77	80	25661.60	41700.50
2.	वाणिज्यिक	160.13	47.92	208.05	4803.90	96.08	90	8647.02	13450.92
3.	औद्योगिक	73.82	85.22	159.04	2214.60	44.29	90	3986.28	6200.88
4.	सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक	100.54	136.58	237.12	3016.20	60.32	80	4825.92	7842.12
5.	सार्वजनिक	10.65	24.81	35.46	319.50	6.39	80	511.20	830.70


8

	उपयोगितायें								
6.	यातायात एवं परिवहन	263.02	213.38	476.40	7890.60	157.81	85	13413.85	14203.45
7.	आमोद-प्रमोद	178.83	31.77	210.60	5364.90	107.29	65	6973.85	12338.75
8.	गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार	-	-	-					
9.	ओवर ब्रिज	-	-	-				800.00	800.00
10.	अंडर पास	-	-	-				350.00	350.00
	योग-	1321.61	1131.39	2453.00	39648.60	792.95		65169.72	97717.32

अतः उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptownplan.nic.in तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका सिहोर एवं कलेक्टर, जिला सिहोर के कार्यालय में, स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन तक की कालावधि में, कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर, निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरणों के संबध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण, मंत्रालय, भोपाल में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एस.के.मुद्गल)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

अधिनियम की धारा 19(2)के तहत जारी किये जाने वाले सीहोर विकास योजना (प्रारूप) 2031 सूचना के लिए खसरा की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	प्रारूप विकास योजना में भूमि उपयोग	उपांतरण उपरांत प्रस्तावित भू-उपयोग
1	कस्बा सीहोर	212 का भाग	कृषि	आवासीय
2	कस्बा सीहोर	216 का भाग	कृषि	आवासीय
3	कस्बा सीहोर	215 का भाग	कृषि	आवासीय
4	कस्बा सीहोर	232 का भाग	कृषि	आवासीय
5	कस्बा सीहोर	233 का भाग	कृषि	आवासीय
6	कस्बा सीहोर	234 का भाग	कृषि	आवासीय
7	कस्बा सीहोर	237 का भाग	कृषि	आवासीय
8	कस्बा सीहोर	246 का भाग	कृषि	आवासीय
9	कस्बा सीहोर	209 का भाग	कृषि	आवासीय
10	कस्बा सीहोर	214 का भाग	कृषि	आवासीय
11	कस्बा सीहोर	236 का भाग	कृषि	आवासीय
12	कस्बा सीहोर	235 का भाग	कृषि	आवासीय
13	कस्बा सीहोर	255 का भाग	कृषि	आवासीय
14	कस्बा सीहोर	247 का भाग	कृषि	आवासीय
15	कस्बा सीहोर	252 का भाग	कृषि	आवासीय
16	कस्बा सीहोर	248 का भाग	कृषि	आवासीय
17	कस्बा सीहोर	251 का भाग	कृषि	आवासीय
18	कस्बा सीहोर	193 का भाग	आमोद प्रमोद	आवासीय
19	कस्बा सीहोर	192 का भाग	आमोद प्रमोद	आवासीय
20	कस्बा सीहोर	194 / 1 का भाग	आमोद प्रमोद	आवासीय
21	कस्बा सीहोर	194 / 2 का भाग	आमोद प्रमोद	आवासीय
22	कस्बा सीहोर	197 का भाग	आमोद प्रमोद	आवासीय